प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
संत कबीर नगर।

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,
राजकीय/सहायता प्राप्त/स्ववित्त पोषित उ0मा0वि0/इ0का0,
जनपद–संत कबीर नगर।

पत्रांक/मा0–धनघटा/ /2018–19 दिनांकः

विषयः– मिजिल्स रूबेला टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि मिजिल्स रुबेला टीकारण अभियान दिनांक 26.11.2018 से प्रारम्भ हुआ है। इस अभियान के प्रचार प्रसार, बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करने तथा टीकाकरण के शत प्रतिशत लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु विस्तृत निर्देश समय–समय पर आपको दिये गये है और आप द्वारा अच्छा प्रयास भी किया गया है। माध्यमिक विद्यालयों में टीकारण कार्य हो रहा है। कुछ विद्यालयों के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है कि सम्बन्धित प्रधानाचार्यो को लक्षित छात्र/छात्राओं के आयु के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी नही है। इस सम्बन्ध में विभिन्न आदेशों द्वारा तथा प्रधानाचार्यो की बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके है कि माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 10 तक के समस्त छात्र/छात्राओं को टीका लगना अनिवार्य है जिससे भविष्य में मिजिल्स रुबेला जैसी घातक वीमारियों से बच्चों को बचाया जा सके।

आपको पुनः निर्देश दिया जाता है कि विद्यालय में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के बच्चों की ड्यू लिस्ट तैयार रखें तथा स्वास्थ विभाग की टीकाकरण टीम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कक्षा 6 से 10 तक के समस्त छात्र/छात्राओं का टीकाकरण सुनिश्चित करायें तथा टीकाकरण टीम को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

भवदीय

(शिव कुमार ओझा)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
संत कबीर नगर।

पृष्ठांकन संख्या/मा0–धनघटा/ /2018–19 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी महोदय, संत कबीर नगर।
2– मुख्य विकास अधिकारी संत कबीर नगर।
3– मुख्य चिकित्साधिकारी संत कबीर नगर।

जिला विद्यालय निरीक्षक,
संत कबीर नगर।

आदेश

माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा वर्ष 2019 हेतु निर्धारित किये गये परीक्षा केन्द्रों पर प्रत्येक परीक्षा कक्ष में दो–दो सी0सी0टी0वी0 कैमरें एवं वायस रिकार्डर होना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में पूर्व में ही निर्देश दिये जा चुके है। स्ववित्त पोषित विद्यालयों (परीक्षा केन्द्रों) पर सी0सी0टी0वी0 व वायस रिकार्डर की व्यवस्था सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धतंत्र व प्रधानाचार्य द्वारा की जायेगी। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी यह व्यवस्था विद्यालय के विकास मद से की जा सकती है। विकास मद में धनराशि की कमी पड़ने पर किसी छात्र निधि से अग्रिम के रूप में धनराशि आहरित कर व्यवस्था तत्काल पूर्ण कर ली जाय। विकास मद में धनराशि आने पर भविष्य में छात्र निधि से लिये गये अग्रिम का समायोजन कर दिया जाय।

वर्ष 2019 की परीक्षा हेतु प्रस्तावित परीक्षा केन्द्रों पर सी0सी0टी0वी0 व वायस रिकार्डर की उपलब्धता की जांच हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को नामित किया जाता है।

क0स0	निरीक्षण अधिकारी का नाम व पदनाम	पता/ विद्यालय का नाम	निरीक्षण हेतु आवंटित विद्यालय/परीक्षा केन्द्र का नाम	विकास खण्ड का नाम
1	श्रीमती नीलम राय, प्रधानाध्यापिका	राजकीय कन्या उ0मा0वि0 गिरधरपुर, संत कबीर नगर।	संतकबीर आचार्य रामलिास इ0का0 मगहर	खलीलाबाद
2			रामशंकर सच्चिदानन्द पाल इं0का0 सिकरी	खलीलाबाद
3			श्री लालहादुर शास्त्री स्मारक इं0का0 टुम्पार	खलीलाबाद
4			अल्हाज मुशीदार फातमा इ0का0 गड़सरपार	खलीलाबाद
5			ए0बी0आर0एल0 इ0का0 गिठिनी	खलीलाबाद
6			बाबा तामेश्वर नाथ भारती इ0का0 तामेश्वरनाथ	खलीलाबाद
7			संतकबीर आचार्य रामलिास इ0का0 मगहर	खलीलाबाद

उपरोक्त शिक्षक/अधिकारी आवंटित विद्यालयों पर सी0सी0टी0वी0 व वायस रिकार्डर की उपलब्धता का परीक्षण कर दिनांक 13.12.2018 तक निर्धारित प्रारूप पर आख्या जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध करायेंगें। सम्बन्धित विद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों के प्रधानाचार्य इस कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगें। इस सम्बन्ध में प्रस्तावित परीक्षा केन्द्रों के प्रधानाचार्यो/केन्द्र व्यवस्थापकों की अतिआवश्यक बैठक दिनांक 15.12.2018 को प्रातः 11:00 बजे से नेहरू कृषक इ0का0 खलीलाबाद में आयोजित की गयी है जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 06.12.2018 को समीक्षा बैठक में बोर्ड परीक्षा के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में चर्चा की जायेगी। बैठक में प्रधानाचार्य स्वयं प्रतिभाग करेंगें।

(शिव कुमार ओझा)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
संत कबीर नगर।

पृष्ठांकन संख्या/बोर्ड परीक्षा–19/ /2018–19 दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सम्बन्धित प्रधानाचार्य/केन्द्र व्यवस्थापक जनपद–संत कबीर नगर।
2– नामित निरीक्षण अधिकारी के विद्यालय के प्रधानाचार्यो को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित शिक्षक को इस महत्वपूर्ण एवं समयवद्ध कार्य हेतु अनुमति प्रदान करें।
3– प्रधानाचार्य नेहरू कृषक इ0का0 खलीलाबाद को इस निर्देश के साथ कि बैठक हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(शिव कुमार ओझा)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
संत कबीर नगर।